

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/अग्निशमन दस्ता/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को नोवेल कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु अपने-अपने कार्यालय/थाना व थाना परिसर की नियमित साफ-सफाई तथा सैनिटाइज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस विभाग के अग्निशमन दस्ते द्वारा रोस्टर के अनुसार, जनपद के भिन्न-भिन्न कस्बों में जाकर कस्बों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है।

दिनांक 31-05-2021 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, के निर्देशानुसार, लीडिंग फायरमैन हरेराम यादव, चालक पवन कुमार, फायरमैन अजय कुमार सिंह फायरमैन इंद्रजीत हो.गा. महेन्द्र कुमार, अओनिष मिश्रा द्वारा महामाया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शोहरतगढ़, थाना परिसर/कार्यालय शोहरतगढ़ कस्बा शोहरतगढ़ व फायर स्टेशन डुमरियागंज द्वारा ग्राम भटगवा सिद्धार्थनगर आदि को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

दहेज-मृत्यु के अपराध में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार |

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सघन पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ द्वारा दिनांक 01.06.21 को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पथरदेईया से मु.अप.संख्या: 118/21 धारा 498A/304B IPC व 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम थाना डेबरुआ से सम्बंधित और वांछित, अभियुक्त मंगल पुत्र राजकुमार और श्रीमती निर्मला पत्नी राजकुमार केवट निवासी पथरदेईया थाना डेबरुआ सिद्धार्थनगर को प्रातःकाल में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत न्यायालय रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 01.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उ.नि. रमाशंकर राय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुनिजर पुत्र स्व0 श्री रामसुभग सा. खेतवल मिश्र टोला जनकपुर थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ.नि. रमाशंकर राय थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. हेका. मलखा साहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 01.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. त्रिभुवन पुत्र स्व0 सीताराम सा. सिसवा बुजुर्ग थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. चिनकू पुत्र स्व0 भगवती सा. सिसवा बुजुर्ग थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
3. संदीप पुत्र चिनकू सा. सिसवा बुजुर्ग थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
4. संदीप पुत्र स्व0 घुन्नी सा. मोहनकोला थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
5. रवि पुत्र स्व0 घुन्नी सा. मोहनकोला थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. हेका. संजीत श्रीवास्तव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

माह जून के प्रथम दिन जनपदीय पुलिस बल द्वारा सघन अभियान चलकर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की, की गयी चेकिंग।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01-06-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही के अंतर्गत एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 4152 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 312 वाहनों का चालान तथा 02 वाहनों को सीज कर ₹ 3,26,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद सिद्धार्थनगर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर आगमन किये प्रशिक्षणाधीन आरक्षी को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जनपद के प्रत्येक थाना पर 10-10 आरक्षियों की नियुक्ति की गयी है, प्रशिक्षणाधीन आरक्षी व्यवहारिक प्रशिक्षण निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करेंगे। उनको भली प्रकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण के अतिरिक्त इनकी आवासीय व्यवस्था, भोजन प्रबन्ध, कर्तव्य, अनुशासन एवं टर्न-आउट पर भी सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण द्वारा व्यक्तिगत दृष्टि रखी जायेगी। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, तो सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षगण द्वारा उनका तत्काल निवारण कराया जायेगा।

श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण किया जायेगा, इसी क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारीगण जब भी थाने पर जायेंगे तो उनके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन देंगे साथ ही प्रशिक्षण रजिस्टर पर टिप्पणी भी अंकित करेंगे। प्रशिक्षणाधीन आरक्षी प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपरान्ह में पुलिस लाइन्स, सिद्धार्थनगर में आगमन करेंगे तथा शुक्रवार की प्रातःकालीन परेड में सम्मिलित होंगे। उनकी ट्रेनिंगशीट का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अवलोकन किया जायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित थाने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पुनः प्रस्थान होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा।

प्रथम माह : थाने के दैनिक कर्तव्यों की ड्यूटियों जैसे सन्तरी . स्कोर्ट तथा पिकेट ड्यूटी को सीखने हेतु थाने में सम्बद्ध रहेंगे। ड्यूटी रोस्टर , सामान्य दैनिकी और अन्य पुलिस थाने के अभिलेखों तथा विवरण पत्रों, यात्रा-बिलों को तैयार करने सहित थाने के लेखा(एकाउण्ट) कार्य एवं पुलिस व क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट के प्रयोग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणाधीन आरक्षी प्रातःकालीन परेड व किट के निरीक्षण में सम्मिलित होंगे तथा स्थानीय अपराधियों के विषय में जानकारी अर्जित करेंगे।

द्वितीय एवं तृतीय माह: निरोधात्मक (प्रियेन्टिय) कार्य जैसे :- रात व दिन में पेट्रोलिंग . बीट ड्यूटी, निगरानी तथा नाकाबन्दी के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस व जनता के सम्बन्ध में विश्वास की आवश्यकता हेतु सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों व महिलाओं/बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स को एकत्रित करने के लिए वेश्यालयों, जुआ के अड्डों, बुरे आचरण वालों के ठिकाने आदि के सम्बन्ध में सम्पर्क करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक एवं स्मरण के आधार पर वांछित अथवा अभ्यस्त अपराधियों से उनके वर्णनात्मक आचरण एवं फोटोग्राफ से जासूसी द्वारा पकड़ने की क्षमता में विकास करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

चतुर्थ माह : व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान आरक्षियों को विवेचना अधिकारी के साथ रहकर घटना के निरीक्षण, तलाशी, कुर्की/गिरफ्तारी अथवा छापा डालने की ड्यूटियों के कार्य सिखना चाहिए। आरक्षी को यह भी बताना जाना चाहिए कि थाना के

आपराधिक अभिलेखों तथा अपराधियों को रोकने तथा अपराधियों के लोकेशन का पता ज्ञात करने में किस तरह प्रयोग किया जाना चाहिए।

पंचम एवं षष्ठम माह : शहरी थानों पर सम्बद्ध करके शहरी पुलिस समस्याओं से सुपरिचित कराना तथा कानून-व्यवस्था, बीट ड्यूटी के महत्व को विशेष रूप से परिचित कराया जाए। आरक्षियों को निकट पर्यवेक्षण में रखकर अवगत कराया जाये कि विभिन्न प्रकार के शांतिपूर्ण भीड़ का पहले किस तरह प्रबन्धन किया जाये। तदोपरान्त अवैधानिक रूप से एकत्रित झुण्ड का हैण्डलिंग (नियंत्रित) करने में शक्ति का किस तरह प्रयोग किया जायेगा। समूह (भीड़) को नियंत्रित करने में धैर्य , आत्मसंयम तथा व्यवहार कौशल की आवश्यकता बतानी चाहिए। व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान आरक्षी एक रजिस्टर तैयार करेंगे और उनके द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त की जायेगी, उसका इन्द्राज(अंकित करना/खना) रजिस्टर में किया जायेगा।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

प्रेस नोट दि० 01.06.2021 थाना को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी महोदय बांसी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बांसी श्री शैलेश कुमार सिंह द्वारा मु०अ०सं० 120/2021 धारा 376D,504,506 ipc व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित पीडिता द्वारा धारा 164 सीआरपीसी में दिये गये बयान से प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त खिलाड़ी उर्फ संदेश पुत्र रामपूजन निषाद साकिन गौरी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया। मा० न्यायालय द्वारा 14 दिवस रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त -

खिलाड़ी उर्फ संदेश पुत्र रामपूजन निषाद साकिन गौरी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

प्र०नि० शैलेश कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

हे०का० उपेन्द्र प्रजापति थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर हे०का० शिवकुमार सरोज थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

का० जितेन्द्र कुमार यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

का० रामप्रवेश थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2021

प्रेस नोट दि० 01.06.2021 थाना को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी महोदय बांसी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बांसी श्री शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 01.06.2021 को उ०नि० दिनेश राजभर व उ०नि० राजेश मौर्या व उ०नि० रामप्रकाश चन्द (1) रामदीन पुत्र छविलाल उम्र 55 वर्ष (2) पिन्टू पुत्र रामदीन उम्र 30 वर्ष व (3) रिकू पुत्र रामदीन उम्र 35 वर्ष (4) मनोज कुमार पुत्र रामसुभग उम्र करीब 34 वर्ष व (5) प्रमोद पुत्र रमेश उम्र 20 वर्ष साकिनान बैदौली कला थाना को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर (6) गोविन्द लाल चौरसिया पुत्र सहदेव ग्राम महोखवा थाना कोतवाली बांसी सि०नगर (7) सजाउद्दीन पुत्र हसमुल्ला सा० बाजारडीह थाना कोतवाली बांसी सि०नगर को धारा 151/107/116 CRPC में गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया। मा० न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त गण-

- (1) रामदीन पुत्र छविलाल उम्र 55 वर्ष
- (2) पिन्टू पुत्र रामदीन उम्र 30 वर्ष व
- (3) रिकू पुत्र रामदीन उम्र 35 वर्ष
- (4) मनोज कुमार पुत्र रामसुभग उम्र करीब 34 वर्ष व(5) प्रमोद पुत्र रमेश उम्र 20 वर्ष साकिनान बैदौली कला थाना को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- (6) गोविन्द लाल चौरसिया पुत्र सहदेव ग्राम महोखवा थाना कोतवाली बांसी सि०नगर (7) सजाउद्दीन पुत्र हसमुल्ला सा० बाजारडीह थाना कोतवाली बांसी सि०नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- उ०नि० दिनेश राजभर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
उ०नि० राजेश कुमार मौर्या थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
उ०नि० रामप्रकाश चन्द थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
हे०का० मकसूदन यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर